केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/330 दिनांक: 19.08.2016
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00327
CICOM/R/2016/00502

अपीलकर्ता : श्री रतन प्रकाश,
40, लूनिया मोहल्ला, ब्लॉक प्रथम,
देहरादून, उत्तराखंड – 248001.

निर्णय की तारीख : 19.08.2016

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	11.04.2016
आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि	22.04.2016
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री आर. एल. गुप्ता
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	01.07.2016
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	152450/06.07.2016
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	465/09.08.2016

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से द्वितीय अपील सं. CIC/LS/A/2011/001775 की सत्य प्रतिलिपि की मांग की थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री आर.एल. गुप्ता, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-बी.एस. कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना में उल्लेख किया गया कि संबंधित फाइल उनकी रजिस्ट्री में उपलब्ध नहीं है तथा रिकार्ड रूम इंचार्ज को सूचना कि प्रतिलिपि देते हुए उनसे अनुरोध किया कि संबंधित फाइल उपलब्ध करवाई जाए ताकि अपीलकर्ता को वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जा सके । श्री आर.एल. गुप्ता ने दिनांक 03.05.2016 को अपीलकर्ता को संबोधित एक अन्य पत्र के माध्यम से सूचित किया कि संबंधित फाइल रिकार्ड रूम इंचार्ज द्वारा उनकी रजिस्ट्री को उपलब्ध करवा दी गई है तथा वांछित सूचना 16 पृष्ठों की है जिसकी प्राप्ति हेतु अपीलकर्ता को नियमानुसार 32/रु0 जमा करवाने का अनुरोध किया ।

2. अपीलकर्ता ने प्रस्तुत प्रथम अपील के माध्यम से सूचित किया है कि उन्होंने 32/-रु0 भारतीय पोस्टल आर्डर दिनांक 17.05.2016 को प्रेषित कर दिया था, परन्तु उन्हें अभी तक वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई है । अत: श्री आर.एल. गुप्ता, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-बी.एस. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर अपीलकर्ता को वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जाए ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील, यदि कोई हो, आदेश प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

अचला सिन्हा
(अचला सिन्हा)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

o/c

प्रतिलिपि :

1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री आर. एल. गुप्ता, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-बी.एस. कार्यालय केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।